भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1922

जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2019 को दिया जाना है

तमिलनाडु में न्यूट्रिनों वेधशाला

1922. श्री वाइको :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के थेनी जिले में न्यूट्रिनों वेधशाला खोलने की योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी घाट की जैव-विविधता पर गंभीर खतरा होने के मद्देनजर इस परियोजना का कोई विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों का कोई सर्वेक्षण किया गया है और स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श करके पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में उन्हें विश्वास में लिया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध होने के मद्देनज़र इस परियोजना को त्याग दिया जाएगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, हाँ । भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला, तमिल नाडु के थेनी जिले में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है ।

(ग), (घ), (ङ) तथा (च) स्थानीय जनता के कुछ वर्गों से विरोध रहा है । आईएनओ, विद्यालयों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए, संकाय सदस्यों और पत्रकारों एवं मीडिया प्रोफेशनलों के लिए मदुराई और थेनी में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है । एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम, मई-अगस्त 2018 के दौरान किया गया, जिसमें, तमिल नाडु के अन्य नगरों और केरल के कुछ नगरों को शामिल किया गया । कई विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और जनता के सदस्यों ने आईएनओ ट्रांजिट कैम्पस का दौरा किया, जहाँ पर, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले कॉस्मिक किरण म्यूऑन को संसूचित करने वाला, 85 टन का एक मिनी-आईसीएएल संसूचक प्रचालनरत है । यह संसूचक, उस संसूचक का बहुत ही छोटा वर्जन है, जिसकी योजना आईएनओ स्थल पर 2 km आड़ी सुरंग के अंत में, गुफा में की गई है । जून 2010 में, थेनी के कलेक्टर द्वारा एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई, यद्यपि ऐसा किया जाना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा अधिदेशित नहीं था । इस बैठक में लगभग 1200 स्थानीय लोगों ने भाग लिया, जिनमें पंचायत अध्यक्ष भी शामिल थे, जिन्होंने परियोजना का समर्थन किया । आईएनओ परियोजना के कार्यान्वयन में सभी सांविधिक प्रतिमानकों एवं विनियमों का भी अनुपालन किया गया है । डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले हाई लेवल वर्किंग ग्रुप (एचएल डब्ल्यूजी) द्वारा चिह्नित किए अनुसार तथा दिनांक 13.11.2013 की, एमओईएफ की अधिसूचना सं. एफ.नं. 1-4/2012-आरई (पीटी.) में संदर्भित किए अनुसार आईएनओ स्थल, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में नहीं है ।

*****